मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल म.प्र.

क्रमांक / डी–7–2 / 2014 / 14–3 भोपाल दिनांक 22/10/14

प्रति,

1. कलेक्टर
जिला – ....(समस्त)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत
जिला –..............................(समस्त)
3. उपसंचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला..................................(समस्त)
4. कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री
संभाग – .... (समस्त)
5. सहायक कृषि यंत्री
उप संभाग – ....(समस्त)

विषयः– केन्द्र प्रवर्तित "सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन (SMAM)" के क्रियान्वयन संबंधी मार्गदर्शी निर्देश – 1

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 से कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु महत्वाकांक्षी कार्यक्रम "सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन" का प्रारंभ किया गया है। सब–मिशन के अंतर्गत निम्न घटक क्रियान्वित किये जाना हैं –

घटक 1 – प्रशिक्षण, परीक्षण तथा प्रदर्शन के द्वारा कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन
(Promotion and Strengthening of Agricultural Mechanization through Training, Testing and Demonstration)

घटक 2 – फसल कटाई उपरांत प्रोद्योगिकी का प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा वितरण एवं प्रबंधन
(Demonstration, Training and Distribution of Post Harvest Technology and Management (PHTM)

घटक 3 – कृषि उपकरणों तथा यंत्रों के क्रय हेतु अनुदान सहायता
(Financial Assistance for Procurement of Agriculture Machinery and Equipment)

घटक 4 – कस्टम हायरिंग सेवाओं हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना
(Establish Farm Machinery Banks for Custom Hiring)

घटक 5 – कस्टम हायरिंग सेवाओं हेतु उच्च तकनीकी क्षमता वाले हाई–टेक हब की स्थापना
(Establish Hi-Tech, High Productive Equipment Hub for Custom Hiring)

घटक 6 – चयनित ग्रामों में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन
(Promotion of Farm Mechanization in Selected Villages)

घटक 7 – यंत्रीकृत कृषि को अपनाने हेतु कृषको को सहायता
(Financial Assistance for Promotion of Mechanized Operations/hectare Carried out Through Custom Hiring Centres)

यह मार्गदर्शी निर्देश घटक कमांक 1,2,3,6 तथा 7 के क्रियान्वयन हेतु जारी किये जा रहे हैं। घटक कमांक 4 एवं 5 के निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगें। घटक कमांक 1, 2, 6 एवं 7 का क्रियान्वयन कृषि अभियांत्रिकी के जिला कार्यालयों तथा घटक कमांक 3 का क्रियान्वयन जिलों के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालयों के माध्यम से किया जायेगा।

सब–मिशन का कार्यक्षेत्रः–

सब मिशन का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जिलों में होगा।

लक्ष्यो का निर्धारणः–

संचालक कृषि अभियांत्रिकी सब–मिशन के सभी घटकों के अंतर्गत लक्ष्यो का निर्धारण कर मैदानी कार्यालयो को उपलब्ध करायेगें। संचालक कृषि अभियांत्रिकी लक्ष्यों का निर्धारण करते समय जिलों की फसलों तथा आवश्यकताओं का विश्लेषण आवश्यक रूप से करेंगें।

वित्तीय व्यवस्थाः–

संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा निर्धारित लक्ष्यो के अनुरूप मैदानी कार्यालयो को राशि उपलब्ध कराई जायेगी। जिलों द्वारा प्रदत्त राशि के उपयोग में शासन तथा विभाग के संबंधित परिपत्रों का पालन किया जायेगा।

सब–मिशन के विभिन्न घटकों का क्रियान्वयन निम्नानुसार किया जायेगा –

घटक कमांक 1 एवं 2 – प्रशिक्षण, परीक्षण तथा प्रदर्शन के द्वारा कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन तथा फसल कटाई उपरांत प्रोद्योगिकी का प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा वितरण एवं प्रबंधन

(अ) कृषकों के खेतों में उन्नत कृषि यंत्रों/पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी का जीवंत प्रदर्शन

उद्देश्य :–

1. कृषि यंत्रीकरण की दृष्टि से पिछड़े हुये क्षेत्रों में फसल आधारित प्रदर्शन जिससे कृषि यंत्रीकरण को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा सके।
2. फसल उत्पादन तथा पोस्ट हार्वेस्ट (फसल कटाई उपरांत) प्रबंधन हेतु नवीन एवं उन्नत कृषि यंत्रों का समावेश करना।
3. उन्नत एवं नवीन कृषि यंत्रों की उपयोगिता एवं उनके उपयोग की विधि के संबंध में कृषकों का व्यवाहरिक ज्ञानवर्धन करना है।

हितग्राही तथा क्षेत्र चयन :–

1. क्षेत्र का चयन जिले के सहायक कृषि यंत्री द्वारा किया जायेगा। चयनित क्षेत्र का अनुमोदन संबंधित ग्राम पंचायत की ग्राम सभा से लिया जायेगा।
2. क्षेत्र चयन में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनमें फार्म पावर की उपलब्धता कम हो। विभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु यंत्रदूत ग्रामों का चयन किया जाता है अतः इस प्रदर्शन हेतु क्षेत्र चयन में इन ग्रामों को प्राथमिकता दी जाये। चयनित क्षेत्र में प्रदर्शन इस प्रकार आयोजित किये जायेंगें जिससे प्रदर्शित नवीन तकनीक को आसपास के ग्रामों के तथा मुख्य मार्ग से गुजरने वाले कृषकों द्वारा भी आसानी से देखा जा सके। प्रदर्शन हेतु ऐसे कृषकों का चयन किया जायेगा जो नवीन तकनीक को अपनाने के इच्छुक

हो एवं अन्य कृषकों को भी प्रेरित कर सके। चयन में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला कृषकों को भी पर्याप्त संख्या में सम्मिलित किया जायेगा।

3. किये जा रहे प्रदर्शनों में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी यथासंभव सुनिश्चित की जाये।

प्रदर्शन हेतु यंत्रों का चयन :–

चयनित क्षेत्र तथा फसल के अनुरूप नवीन उन्नत कृषि यंत्रों का चयन प्रदर्शन कार्यो हेतु किया जावेगा। इस संबंध में कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा उस क्षेत्र एवं फसल विशेष हेतु की गई यंत्रों संबंधित अनुशंसाओं का ध्यान रखा जायेगा।

प्रदर्शन कार्य :–

1. प्रदर्शन कार्य 100–100 हेक्टेयर क्षेत्र के क्लस्टर में किया जायेगा। इनमें 50 प्रतिशत प्रदर्शन फसल पद्धति तथा 50 प्रतिशत नवीन यंत्रों की तकनीक से संबंधित रखे जायेंगें। इस हेतु यंत्र निर्माताओं/कस्टम हायरिंग केन्द्रों का भी सहयोग लिया जा सकेगा।
2. प्रत्येक प्रदर्शन कम से कम 0.4 हेक्टेयर का किया जायेगा तथा क्लस्टर में आने वाले सभी कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।

प्रदर्शन पर व्यय :–

एक फसल सीजन में 100 हेक्टेयर तक के क्लस्टर में प्रदर्शन किया जा सकेगा। प्रत्येक प्रदर्शन पर राशि रू. 4000/– तक का अधिकतम व्यय निम्न मदों में किया जा सकेगा –

1. ट्रेक्टर एवं मशीनों के किराये पर राशि रू. 2000/– प्रति हेक्टेयर की दर से। किराये में ट्रेक्टर के साथ कृषि यंत्र भी सम्मिलित होंगें।
2. प्रदर्शन के दौरान प्रशिक्षण कार्य पर राशि रू. 1500/– प्रति हेक्टेयर।
3. अन्य व्यय जिसमें परिवहन, मजदूरी एवं प्रचार–प्रसार/सामग्री पर राशि रू. 500/– प्रति हेक्टेयर।

सभी प्रदर्शन कार्य कृषि अभियांत्रिकी के मैदानी कार्यालयों द्वारा किये जायेंगें। प्रदर्शन में विभागीय ट्रेक्टर्स एवं कृषि यंत्रों का उपयोग किया जायेगा। यदि विधिवत ट्रेक्टर किराये पर लिया गये हो तो उनके किराये का समायोजन इस मद में प्रदाय राशि से किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित वैज्ञानिकों आदि के मानदेय का भुगतान इस मद से किया जायेगा। प्रदर्शन हेतु आवश्यक आदानों का क्रय कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा अन्य शासकीय संस्थाओं से किया जा सकेगा।

मॉनिटरिंग :–

1. किये गये सभी प्रदर्शनों का समय–समय पर निरीक्षण किया जाकर रिकार्ड संधारित किया जायेगा तथा निर्धारित प्रपत्र में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. प्रदर्शन कार्य में विभिन्न अधिकारियों हेतु निरीक्षण के मापदंड निम्नानुसार होंगें –
    1. संभागीय कृषि यंत्री – 25 प्रतिशत
    2. सहायक कृषि यंत्री – 50 प्रतिशत
    3. यांत्रिक सहायक – 100 प्रतिशत

(ब) पोस्ट हार्वेस्ट प्रोद्योगिकी यूनिटों की स्थापना

फसल कटाई उपरांत उपयोगी तकनीकों के संबंध में केन्द्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिकी संस्थान, लुधियाना (CIPHET), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सी.एस.आई.आर एवं कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अनुशंसित निम्न तकनीकें सम्मिलित होंगी –

1. प्राथमिक प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन
2. फसल अवशेष प्रबंधन
3. कम कीमत के वैज्ञानिक भण्डारगृह
4. परिवहन हेतु भण्डारगृह
5. जल्दी खराब होने वाले उत्पाद का परिवहन

अनुदान पात्रता –

पोस्ट हार्वेस्ट यूनिट की स्थापना उत्पादन क्षेत्र में ही की जाना होगी। प्रत्येक यूनिट हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 1.25 लाख प्रति मशीन/तकनीक तक का अनुदान देय होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, लघु–सीमांत कृषक, महिला कृषकों हेतु अतिरिक्त 10 प्रतिशत अनुदान देय होगा तथा अनुदान की अधिकतम सीमा राशि रू. 1.50 लाख प्रति मशीन/तकनीक होगी। शेष राशि की व्यवस्था हितग्राही द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से की जायेगी। मशीन का क्रय कृषक अपनी इच्छा से करने के लिये स्वतंत्र रहेगें।

लक्ष्यों का निर्धारण –

लक्ष्यों का निर्धारण संचालनालय द्वारा संभागवार किया जायेगा।

हितग्राही चयन तथा अनुदान भुगतान की प्रकिया –

1. उद्यमी, कृषक, कृषक–समूह, स्व–सहायता समूह, फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाईजेशन (एफ.पी.ओ), सहकारी समितियां, शासन के विभिन्न मिशनों अंतर्गत गठित कृषकों की समितियां इस घटक अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट यूनिट की स्थापना हेतु पात्र होंगी।
2. घटक अंतर्गत लक्ष्यों का संभागवार निर्धारण संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा किया जाकर इच्छुक आवेदकों से समाचार पत्रों के माध्यम से संभागवार आवेदन प्राप्त किये जायेंगें। प्राप्त आवेदनों में "प्रथम आये– प्रथम पाये" के आधार पर संभागीय कृषि यंत्री द्वारा यूनिट स्थापना हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।
3. हितग्राही द्वारा प्राप्त अनुमति के आधार पर यूनिट स्थापना की कार्यवाही स्वयं द्वारा की जायेगी। इस हेतु मशीन का क्रय कृषक अपनी इच्छा से करने के लिये स्वतंत्र रहेंगें।
4. यूनिट स्थापना उपरांत हितग्राही द्वारा प्रस्तुत देयक के आधार पर क्षेत्र के सहायक कृषि यंत्री द्वारा स्थापित यूनिट का भौतिक सत्यापन किया जायेगा तथा देयक संभागीय कृषि यंत्री को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. कृषि यंत्री द्वारा पात्रता अनुसार अनुदान राशि का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में किया जायेगा।

मॉनिटरिंग :–

इस प्रकार स्थापित यूनिटों की कम से कम 50 प्रतिशत संख्या का भौतिक सत्यापन संभागीय कृषि यंत्री द्वारा किया जायेगा।

घटक कमांक 3 – कृषि उपकरणों तथा यंत्रों के कय हेतु अनुदान सहायता

उद्‌देश्य :–

कार्यकम का मुख्य उददेश्य कृषकों को ट्रैक्टर, पावरटिलर, शक्तिचलित कृषि यंत्र, स्वचलित कृषि यंत्र, हस्तचलित एवं पशुचलित कृषि यंत्र एवं पौध संरक्षण यंत्रों के कय पर अनुदान सहायता उपलब्ध कराना है तथा इसके माध्यम से कृषि में फार्म पावर की उपलब्धता को 2.5 किलोवॉट प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाना है।

अनुदान पात्रता –

1. घटक अंतर्गत विभिन्न कृषि यंत्रों पर उपलब्ध अनुदान का विवरण परिशिष्ट – 1 पर दर्शाया गया है।
2. हस्त एवं पशुचलित कृषि यंत्रों पर देय अधिकतम अनुदान प्रतिशत का निर्धारण संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा इन यंत्रों की प्रचलित दरों के आधार पर किया जायेगा।
3. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी टेस्टिंग की आवश्यकताओं तथा गुणवत्ता के मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये सूचीबद्ध किये गये निर्माताओं के चिन्हित यंत्रों पर ही योजना अंतर्गत निर्धारित अनुदान देय होगा।

लक्ष्यों का विभाजन –

1. जिले को प्राप्त लक्ष्यों का विभाजन विकासखंडवार उपसंचालक कृषि द्वारा किया जाकर जिलापंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। ट्रैक्टर, पावरटिलर, शक्तिचलित कृषि यंत्र तथा स्वचलित कृषि यंत्रों के लक्ष्यों का विभाजन विकासखण्डवार किया जायेगा।
2. वर्ष में अनुदान पर वितरित किये जाने वाले हस्तचलित एवं पशुचलित कृषि यंत्रों का चयन संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा किया जाकर सूची जारी की जायेगी। सूची में ऐसे यंत्रों का चयन किया जायेगा जिनकी कीमत रू. 1000/– प्रति नग से अधिक होगी। जिले को प्राप्त लक्ष्यों का विभाजन विकासखंडवार उपसंचालक कृषि द्वारा किया जाकर जिलापंचायत की कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। ग्रामवार लक्ष्यों का विभाजन विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार अनुमोदित लक्ष्यों को विकासखण्ड तथा ग्राम स्तर तक सूचित किया जायेगा।

हितग्राही चयनः–

अनुदान योजनांतर्गत कृषक, कृषक–समूह, स्व सहायता समूह, फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाईजेशन (एफ.पी.ओ.), सहकारी समितियां, शासन के विभिन्न मिशनों अंतर्गत गठित कृषकों की समितियां लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी। हितग्राही चयन एवं अनुदान भुगतान की विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

(अ) ट्रैक्टर, पावरटिलर, शक्तिचलित कृषि यंत्र एवं स्वचलित कृषि यंत्रों हेतु अनुदान भुगतान की प्रकिया :–

1. आवेदक अनुदान पर उपरोक्त सामग्री के क्रय हेतु अपना आवेदन विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकाखण्ड को दिये गये लक्ष्यों के अनुरूप संख्या में आवेदन प्राप्त कर ''प्रथम आये प्रथम पाये'' आधार पर सूचीबद्ध करेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कृषि स्थायी समिति से अनुमोदित प्रकरण उपसंचालक कृषि को उपलब्ध कराये जायेगें।
3. उपसंचालक कृषि विकासखण्ड से प्राप्त अनुमोदित प्रकरणों का परीक्षण करेगें तथा उपयुक्त पाये गये प्रकरणों में कृषकों को यंत्र/मशीन/ट्रैक्टर क्रय करने की अनुमति प्रदान करेगें।
4. ट्रैक्टर, पावरटिलर हेतु कोई भी आवेदक केवल एक ही बार पात्र होगा। योजना अन्तर्गत केवल एक ही प्राइममूवर का प्रदाय एक परिवार/संस्था को किया जा सकेगा।
5. शक्तिचलित कृषि यंत्रो का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक के पास स्वयं का ट्रैक्टर अथवा पावरटिलर होना आवश्यक होगा। एक प्रकार के शक्तिचलित/स्वचलित यंत्र पर अनुदान का लाभ आवेदक को दोबारा आगामी पांच वर्षों तक प्राप्त नहीं हो सकेगा।
6. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी टेस्टिंग की आवश्यकताओं तथा गुणवत्ता के मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये सूचीबद्ध किये गये निर्माताओं के चिन्हित यंत्रों पर ही योजना अंतर्गत निर्धारित अनुदान देय होगा।
7. प्राप्त अनुमति अनुसार कृषक निर्धारित समय सीमा में अपनी इच्छा अनुसार यंत्र का क्रय विभाग में उपरोक्तानुसार पंजीकृत निर्माताओं के अधिकृत विक्रेताओं से खुले बाजार में अथवा शासकीय संस्थाओं से कर सकेंगें। यंत्रों की दरों के निर्धारण में विभाग की कोई भूमिका नहीं रहेगी। शासकीय संस्थायें जैसे – एम.पी.एग्रो तथा मार्कफेड उनके द्वारा प्रदाय किये जा रहे यंत्रों की दरों का निर्धारण संस्था के नियमों के अंतर्गत कर सकेंगें।
8. यंत्र क्रय उपरांत हितग्राही द्वारा देयक विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा क्रय किये गये यंत्र का भौतिक सत्यापन हितग्राही की उपस्थिति में किया जायेगा। इसके उपरांत सत्यापित देयक तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा जिलें के उप संचालक को अग्रेषित की जायेगी।
9. उप संचालक द्वारा प्राप्त देयक एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर पात्रता अनुसार अनुदान की राशि का भुगतान हितग्राही के बैंक खाते में किया जायेगा। यदि हितग्राही द्वारा यंत्र का क्रय शासकीय संस्था के माध्यम से किया गया है एवं यंत्र क्रय करते समय केवल कृषक अंश की राशि ही संबंधित संस्था में जमा की है तो इस स्थिति में संबंधित संस्था को अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा।

(ब) <u>हस्तचलित एवं पशुचलित कृषि यंत्रों हेतु अनुदान भुगतान की प्रकिया</u> :—

1. कृषक अनुदान पर उपरोक्त सामग्री के कय हेतु अपना आवेदन ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
2. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्राम को दिये गये लक्ष्यों के अनुरूप संख्या में आवेदन प्राप्त कर ''प्रथम आये प्रथम पाये'' आधार पर सूचीबद्ध करेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची का अनुमोदन ग्राम पंचायत की कृषि स्थायी समिति अथवा ग्राम सभा से प्राप्त किया जायेगा। इस प्रकार अनुमोदित प्रकरण विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेगें।
3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ग्राम से प्राप्त अनुमोदित प्रकरणों का परीक्षण करके ग्रामवार सूची जिले के उप संचालक को प्रेषित करेगा।
4. इस प्रकार विकासखंडों से प्राप्त सूचियों के आधार पर उप संचालक यंत्रों की व्यवस्था हेतु एम.पी.एग्रो के जिला कार्यालयों को मांग प्रस्तुत करेंगें। एमपीएग्रो द्वारा यंत्रों की व्यवस्था अधिकतम 15 दिवस में की जाकर उप संचालक को सूचित किया जायेगा। उप संचालक कृषि द्वारा प्रत्येक विकासखंड में कृषि यंत्रों का वितरण सामूहिक रूप से कार्यक्रम आयोजित कर किया जायेगा। वितरण कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जायेगा। वितरण के समय कृषकों से कृषक अंश की राशि एमपीएग्रो द्वारा प्राप्त की जायेगी। एमपीएग्रो द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वितरित किये जा रहे कृषि यंत्र उचित गुणवत्ता के हो तथा निर्माता संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी में पंज़ीकृत हो।
5. यंत्र वितरण उपरांत एमपीएग्रो द्वारा देयक जिले के उप संचालक कृषि को प्रस्तुत किया जायेगा। उप संचालक कृषि द्वारा कृषकों की पात्रता अनुसार अनुदान का भुगतान एमपीएग्रो को किया जायेगा।

<u>मॉनिटरिंग</u> :—

अनुदान पर वितरित कृषि यंत्रों के भौतिक सत्यापन हेतु अन्य अधिकारियों हेतु निरीक्षण के मापदंड निम्नानुसार होंगें —

1.	उप संचालक कृषि	—	20 प्रतिशत (सभी श्रेणी के यंत्रों हेतु)
2.	अनुविभागीय कृषि अधिकारी	—	30 प्रतिशत (सभी श्रेणी के यंत्रों हेतु)
3.	विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	—	50 प्रतिशत (हस्तचलित एवं पशुचलित यंत्रों हेतु)

घटक कंमाक 6 — <u>चयनित ग्रामों में कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन</u>

<u>उद्‌देश्य</u> :—

फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना का मुख्य उददेश्य ग्राम के कृषकों को नवीन तकनीक की कृषि मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। कृषि यंत्रीकरण की दृष्टि से पिछड़े ग्रामों में यह फार्म मशीनरी बैंक स्थापित होंगें। ये बैंक ग्राम के कृषकों द्वारा गठित सहकारी समिति, स्वसहायता समूह अथवा फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाईजेशन (एफ.पी.ओ.) द्वारा स्थापित किये जा सकते है।

अनुदान पात्रता :–

प्रत्येक ग्राम में फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने हेतु लागत का 80 प्रतिशत अधिकतम रू. 8.00 लाख का अनुदान चयनित समूह को देय होगा।

चयन प्रकिया :–

1. फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना उन जिलो में की जायेगी जहां फार्म पावर की उपलब्धता कम है।
2. इन जिलो में कृषि यंत्रीकरण के प्रोत्साहन हेतु चयनित यंत्रदूत ग्रामों में बैंक की स्थापना की जायेगी। फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना कृषको द्वारा गठित सहकारी समिति, स्वसहायता समूहो अथवा कृषको द्वारा गठित एफ.पी.ओ. द्वारा की जा सकेगी।
3. बैंक स्थापना हेतु इच्छुक समूह को ग्रामसभा से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
4. फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु समस्त आवेदन संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री को प्रस्तुत किये जायेंगें।
5. इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदन सहायक कृषि यंत्री द्वारा संभाग के कृषि यंत्री को अपनी अनुशंसा के साथ अग्रेषित किये जायेगें।
6. संभागीय कृषि यंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें उसके कार्यक्षेत्र के सभी सहायक कृषि यंत्री सदस्य रहेंगें, प्राप्त आवेदनों पर विचार कर लक्ष्यो के अनुसार बैंक स्थापना के संबंध में अंतिम निर्णय लेगी।
7. समिति द्वारा अंतिम रूप से चयनित हितग्राही समूह को अवगत कराया जायेगा। जिसके उपरांत हितग्राही समूह द्वारा यंत्रो का कय अपने स्तर से करके अंतिम देयक सहायक कृषि यंत्री को प्रस्तुत किया जायेगा। सहायक कृषि यंत्री द्वारा देयक अनुसार यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाकर उपयुक्त रिपोर्ट के साथ प्रकरण संभागीय कृषि यंत्री को भेजा जायेगा।
8. संभागीय कृषि यंत्री द्वारा पात्रता अनुसार अनुदान राशि का भुगतान हितग्राही समूह के बैंक खाते में किया जायेगा।

मॉनिटरिंग :–

इस प्रकार स्थापित फार्म मशीनरी बैंको की नियमित समीक्षा संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री द्वारा की जाकर रिपोर्ट संभागीय कृषि यंत्री को उपलब्ध करायी जायेगी। सहायक कृषि यंत्री द्वारा समय–समय पर संबंधित समूहो द्वारा चाहे गये तकनीकी मार्गदर्शन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

घटक कंमाक 7 – यंत्रीकृत कृषि को अपनाने हेतु कृषकों को सहायता

उददेश्य :–

कृषको में नवीन एवं उन्नत कृषि यंत्रो को लोकप्रिय बनाने एवं उनसे प्राप्त होने वाले लाभ को दर्शाने के लिये यंत्रो की संचालन लागत में सहायता देने का प्रावधान किया गया है। संचालन लागत

में सहायता प्राप्त होने पर कृषक नई तकनीक के कृषि यंत्रो को अपनाने के लिये आगे आयेगें, जिससे उनकी उत्पादकता में बढोत्तरी होगी।

चयन प्रकिया :–

1. कृषि यंत्रीकरण को बढावा देने के लिये कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा चयनित ग्रामों के कृषक अथवा कलस्टर से लगे हुये अन्य ग्रामों के कृषको को ही सहायता की पात्रता होगी।
2. कृषको को केवल कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के शासकीय ट्रैक्टरो से कार्य कराने पर ही सहायता दी जा सकेगी।
3. सहायता केवल उन कृषि कार्यो के लिये दी जायेगी जो उन्नत किस्म के है एवं जिनकी अनुशंसा जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा की गई हो।
4. सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को आवेदन जिले के यांत्रिक सहायक को देना होगा। यांत्रिक सहायक अनुशंसा के साथ प्राप्त सभी आवेदन सहायक कृषि यंत्री को अग्रेषित करेगा। सहायक कृषि यंत्री परीक्षण उपरांत स्वीकृति आदेश पारित करेगा, जिसके आधार पर यांत्रिक सहायक उस जिले में उपलब्ध शासकीय ट्रैक्टर से कृषक की भूमि में नवीन तकनीक के यंत्र से कार्य करेगा एवं कार्य उपरांत कृषक से संतुष्टि प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा।
5. कृषक वर्ष में केवल एक बार ही सहायता प्राप्त करने की पात्रता रखेगा।

अनुदान पात्रता :–

नवीन तकनीक के कृषि यंत्रो से कार्य कराने पर कृषको को निम्नानुसार सहायता देय होगी :–

1.	सभी प्रकार के ट्रैक्टर, शक्तिचलित एवं स्वचलित कृषि यंत्रो से कार्य कराने पर	– राशि रू. 2000/– प्रति हैक्टे. प्रति कृषक, प्रतिवर्ष
2.	पशुचलित कृषि यंत्रो से कार्य कराने पर	– राशि रू. 1000/– प्रति हैक्टे. प्रति कृषक, प्रतिवर्ष
3.	हस्तचलित कृषि यंत्रो से कार्य करने पर	– राशि रू. 750/– प्रति हैक्टे. प्रति कृषक, प्रतिवर्ष

मॉनिटरिंग :–

लाभान्वित कृषकों के कार्य का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन जिले के यांत्रिक सहायक द्वारा एवं न्यूनतम 25 प्रतिशत सत्यापन क्षेत्र के सहायक कृषि यंत्री द्वारा किया जायेगा।

(डॉ राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमाक / डी–7–2 / 2014 / 14–3 भोपाल दिनांक 22/10/14

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,म.प्र. शासन, भोपाल
2. कृषि उत्पादन आयुक्त म.प्र. शासन, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,मंत्रालय, भोपाल
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम/ म.प्र राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., भोपाल
5. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विन्ध्याचल भवन भोपाल
6. संचालक, कृषि अभियांत्रिकी म.प्र. भोपाल
7. जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर आई.सी.ए.आर जोन –7 जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर, जबलपुर
8. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग – ....(समस्त)

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

परिशिष्ट –1

घटक कमांक 3 : कृषि उपकरणों तथा यंत्रों के कय हेतु अनुदान सहायता – ट्रैक्टर, पावरटिलर तथा स्वचलित यंत्र

प्रति कृषि यंत्र/प्रति हितग्राही अधिकतम उपलब्ध अनुदान का विवरण

क	कृषि यंत्र का नाम	अनु.जाति/जनजाति, लघु–सीमांत कृषक तथा महिला कृषकों हेतु		अन्य कृषको हेतु	
		देय अधिकतम अनुदान प्रति उपकरण /मशीन प्रति हितग्राही	प्रतिशत अनुदान	देय अधिकतम अनुदान प्रति उपकरण /मशीन प्रति हितग्राही	प्रतिशत अनुदान
1	2	3	4	5	6
अ	**ट्रेक्टर**				
1	ट्रेक्टर (8–15 पी.टी.ओ. एच.पी)	1.0 लाख	35%	0.75 लाख	25%
2	ट्रेक्टर (15 से अधिक – 20 पी.टी.ओ. एच.पी)	1.0 लाख	35%	0.75 लाख	25%
3	ट्रेक्टर (20 से अधिक – 40 पी.टी.ओ. एच.पी)	1.25 लाख	35%	1.0 लाख	25%
4	ट्रेक्टर (40 से अधिक – 70 पी.टी.ओ. एच.पी)	1.25 लाख	35%	1.0 लाख	25%
ब	**पावरटिलर**				
1	पावरटिलर (8 बी.एच.पी से कम)	0.50 लाख	50%	0.40 लाख	40%
2	पावरटिलर (8 बी.एच.पी एवं इससे अधिक के)	0.75 लाख	50%	0.60 लाख	40%
स	**स्वचलित राईस ट्रांसप्लाटंर**				
1	4 कतार तक	0.94 लाख	50%	0.75 लाख	40%
2	4 कतार से अधिक एवं 16 कतार तक	2.0 लाख	40%	2.0 लाख	40%
द	**स्वचलित मशीनरी**				
1	रीपर कम बाइंडर	1.25 लाख	50%	1.0 लाख	40%
क	**विशेष स्वचलित मशीनरी**				
1	रीपर	0.63 लाख	50%	0.50 लाख	40%
2	पोस्ट होल डिगर/ऑगर				
3	न्यूमेटिक/अन्य प्लांटर				
ख	**स्वचलित उद्यानिकी मशीनरी**				
1	फ्रूट प्लकर	1.25 लाख	50%	1.00 लाख	40%
2	ट्री प्रूनर				
3	फ्रूट हार्वेस्टर				
4	फ्रूट ग्रेडर्स				
5	ट्रैक ट्रॉली				
6	नर्सरी मीडिया फिलिंग मशीन				
7	मल्टीपरपज हाईड्रोलिक सिस्टम				
8	शक्तिचलित उद्यानिकी टूल्स –जैसे प्रूनिंग, बडिंग, ग्राफटिंग, शियरिंग आदि				

घटक क्रमांक 3 : कृषि उपकरणों तथा यंत्रों के क्रय हेतु अनुदान सहायता – शक्तिचलित कृषि यंत्र

प्रति कृषि यंत्र/प्रति हितग्राही अधिकतम उपलब्ध अनुदान का विवरण (रू. हजार में)

क्र	कृषि यंत्र का नाम	20 बी.एच.पी से कम ट्रेक्टर एवं पावर टिलर हेतु		20 से अधिक – 35 बी.एच.पी के ट्रेक्टर हेतु		35 बी.एच.पी से अधिक के ट्रेक्टर हेतु	
		अनु.जाति/जनजाति, लघु–सीमांत कृषक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषको हेतु	अनु.जाति/जनजाति, लघु–सीमांत कृषक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषको हेतु	अनु.जाति/जनजाति, लघु–सीमांत कृषक एवं महिला कृषकों हेतु	अन्य कृषको हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8
अ.	**भूमि सुधार, खेत की तैयारी तथा सीड–बेड तैयारी के उपकरण**						
1	एम.बी.प्लाऊ	15000	12000	19000	15000	44000	35000
2	डिस्क प्लाऊ	15000	12000	19000	15000	44000	35000
3	कल्टीवेटर	15000	12000	19000	15000	44000	35000
4	हैरो	15000	12000	19000	15000	44000	35000
5	लेवलर ब्लैड	15000	12000	19000	15000	44000	35000
6	केज व्हील	15000	12000	19000	15000	44000	35000
7	फरो ओपनर	15000	12000	19000	15000	44000	35000
8	रिजर	15000	12000	19000	15000	44000	35000
9	वीड स्लेशर	15000	12000	19000	15000	63000	50000
10	लेजर लेण्ड लेवलर	15000	12000	19000	15000	63000	50000
11	रिवर्सिबल मैकेनिकल प्लाऊ	15000	12000	19000	15000	44000	35000
12	रोटावेटर	35000	28000	44000	35000	63000	50000
13	रोटोपडलर	35000	28000	44000	35000	63000	50000
14	रिवर्सिबल हाई ड्रोलिक प्लाऊ	35000	28000	44000	35000	63000	50000
15	सब सॉइलर	––	––	––	––	63000	50000
16	ट्रेन्च मेकर्स (पी.टी.ओ चलित)	––	––	––	––	63000	50000
17	बण्ड फार्मर (पी.टी.ओ चलित)	––	––	––	––	63000	50000
18	पावर हैरो (पी.टी.ओ चलित)	––	––	––	––	63000	50000
19	बैकहो लोडर डोजर (ट्रेक्टर चलित)	––	––	––	––	63000	50000
20	चीसल प्लाऊ	8000	6000	10000	8000	––	––

ब.	**बुवाई, रोपाई, कटाई तथा खुदाई यंत्र**						
1	पोस्ट होल डिगर	15000	12000	19000	15000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
2	पोटेटो प्लांटर	15000	12000	19000	15000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
3	पोटेटो डिगर	15000	12000	19000	15000	44000	35000
4	ग्राउंडनट डिगर	15000	12000	19000	15000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
5	स्ट्रिप टिल ड्रिल	15000	12000	19000	15000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
6	ट्रेक्टर चलित रीपर	15000	12000	19000	15000	44000	35000
7	प्याज होर्वेस्टर यंत्र	15000	12000	19000	15000	44000	35000
8	राइस स्ट्रा चोपर	15000	12000	19000	15000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
9	जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल	15000	12000	19000	15000	44000	35000
10	रेज्ड–बैड प्लाटर	15000	12000	19000	15000	44000	35000
11	शुगर केन कटर/स्ट्रिपर	15000	12000	19000	15000	63000 (अधिकतम 50%) कटर/स्ट्रिपर/प्लांटर	50000 (अधिकतम 40%) कटर/स्ट्रिपर/ प्लांटर
12	प्लांटर	15000	12000	19000	15000		
13	सीड ड्रिल	15000	12000	19000	15000	44000	35000
14	मल्टीक्रॉप प्लांटर	15000	12000	19000	15000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
15	जीरो टिल मल्टीक्रॉप प्लांटर	15000	12000	19000	15000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
16	रिज फरो प्लांटर	15000	12000	19000	15000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
17	टर्बो सीडर	35000	28000	44000	35000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
18	न्यूमैटिक प्लांटर	35000	28000	44000	35000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
19	न्यूमैटिक वेजीटेबल ट्रांसप्लांटर	35000	28000	44000	35000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
20	न्यूमैटिक वेजीटेबल सीडर	35000	28000	44000	35000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
21	हैप्पी सीडर	35000	28000	44000	35000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
22	प्लास्टिक मल्च लेयिंग मशीन	35000	28000	44000	35000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
23	कसावा प्लांटर	––	––	––	––	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
24	मैन्ओर स्प्रेडर	––	––	––	––	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
25	फर्टिलाइजर स्प्रेडर (पी.टी.ओ चलित)	––	––	––	––	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
26	आटोमेटिक राईस नर्सरी सोईंग मशीन	––	––	––	––	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
स	**निदाई – गुढ़ाई के यंत्र**						
1	ग्रास /वीड स्लेशर	15000	12000	19000	15000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
2	राईस स्ट्रॉ चॉपर	15000	12000	19000	15000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)

3	पावर वीडर (स्वयं के इंजन से चलने वाला)	15000 (2 बी.एच.पी से कम इंजन से चलने वाला)	12000 (2 बी.एच.पी से कम इंजन से चलने वाला)	19000 (2 बी.एच.पी से अधिक इंजन से चलने वाला)	15000 (2 बी.एच.पी से अधिक इंजन से चलने वाला)	––	––
4	वीडर (पी.टी.ओ. चलित)	––	––	––	––	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
द.	**फसल कटाई उपरांत अवशेषों को व्यवस्थित करने तथा चारा कटाई संबंधित यंत्र**						
1	शुगरकेन थ्रेश कटर	15000	12000	19000	15000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
2	कोकोनट फ्रांड चॉपर	15000	12000	19000	15000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
3	रेक	15000	12000	19000	15000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
4	बेलर	15000	12000	19000	15000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
5	स्ट्रा रीपर	15000	12000	19000	15000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
6	वुड चिपर्स	––	––	––	––	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
7	शुगरकेन रैटून मैनेजर	––	––	––	––	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
8	कॉटन स्टॉल्क अपरूटर	––	––	––	––	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
ई.	कटाई एवं गहाई यंत्र	20 बी.एच.पी के ट्रेक्टर, पावरटिलर तथा 3 हार्स पावर से कम के इंजन/मोटर से चलने वाले		20 से अधिक – 35 बी.एच.पी तक के ट्रेक्टर्स/पावरटिलर तथा उसे अधिक तथा 5 एच.पी तक के इंजन/मोटर से चलने वाले		35 बी.एच.पी से अधिक के ट्रेक्टर्स तथा 5 एच.पी से अधिक इंजन/मोटर से चलने वाले	
1	ग्राउंडनट पॉड स्ट्रिपर	20000	16000	25000	20000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
2	थ्रेशर	20000	16000	25000	20000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
3	मल्टीक्रॉप थ्रेशर	20000	16000	25000	20000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
4	पैडी थ्रेशर	20000	16000	25000	20000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
5	ब्रश कटर	20000	16000	25000	20000	––	––
6	चैफ कटर	20000	16000	25000	20000	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
7	फोरज हार्वेस्टर	––	––	––	––	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)
8	बर्ड स्केयरर	––	––	––	––	63000 (अधिकतम 50%)	50000 (अधिकतम 40%)

घटक क्रमांक 3 : कृषि उपकरणों तथा यंत्रों के क्रय हेतु अनुदान सहायता – हस्तचलित एंव पशुचलित कृषि यंत्र

प्रति कृषि यंत्र/प्रति हितग्राही अधिकतम उपलब्ध अनुदान का विवरण

क्र	कृषि यंत्र का नाम	अनु.जाति/जनजाति, लघु–सीमांत कृषक एवं महिला कृषकों	अन्य कृषको हेतु
1	*2*	*3*	*4*
अ.	**भूमि सुधार, खेत की तैयारी तथा सीड–बेड तैयारी के उपकरण**		
1	एम.बी. प्लाऊ	10000	8000
2	डिस्क प्लाऊ	10000	8000
3	कल्टीवेटर	10000	8000
4	हैरो	10000	8000
5	लेवलर ब्लैड	10000	8000
6	फरो ओपनर	10000	8000
7	रिजर	10000	8000
8	पड्डलर	10000	8000
ब.	**बुवाई एवं रोपाई यंत्र**		
1	पैडी प्लांटर	10000	8000
2	सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल	10000	8000
3	रेज्ड–बेड प्लांटर	10000	8000
4	प्लांटर	10000	8000
5	डिबलर	10000	8000
6	पैडी नर्सरी रेसिंग यंत्र	10000	8000
7	ड्रम सीडर (4 कतार तक)	1500	1200
8	ड्रम सीडर (4 कतार से अधिक)	1900	1500
स.	**कटाई एवं गहाई यंत्र**		
1	ग्राउंड नट पोड स्ट्रिपर	10000	8000
2	थ्रेशर	10000	8000
3	विनोईंग फेन	10000	8000
4	ट्री क्लाईम्बर	10000	8000
5	होर्टीकल्चर हेण्ड टूल्स	10000	8000
6	चैफ कटर (3 फीट तक)	5000	4000
7	चैफ कटर (3 फीट से अधिक)	6300	5000
द.	**निदाई–गुढ़ाई यंत्र**		
1	ग्रास वीड स्लेशर	6000	5000

2	वीडर	6000	5000
3	कोनोवीडर	6000	5000
4	गार्डेन हेण्ड टूल्स	6000	5000

टीप :– प्रदेश में प्रचलित कई हस्तचलित एवं पशुचलित कृषि यंत्रों की दरें उपरोक्त देय अनुदान से कम है इसलिये इन यंत्रों पर देय अनुदान की सीमा का निर्धारण संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा किया जायेगा।

घटक कमांक 3 : कृषि उपकरणों तथा यंत्रों के कय हेतु अनुदान सहायता – पौध संरक्षण उपकरण

प्रति कृषि यंत्र/प्रति हितग्राही अधिकतम उपलब्ध अनुदान का विवरण

(रू. हजार में)

क	कृषि यंत्र का नाम	अनु.जाति/जनजाति, लघु–सीमांत कृषक तथा महिला कृषकों हेतु		अन्य कृषको हेतु	
		देय अधिकतम अनुदान प्रति उपकरण/मशीन प्रति व्यक्ति	प्रतिशत अनुदान	देय अधिकतम अनुदान प्रति उपकरण/मशीन प्रति व्यक्ति	प्रतिशत अनुदान
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	मानव चलित स्प्रेयर				
	(अ) नेपसेक/पैर चलित स्प्रेयर	6000	––	5000	––
2	नेपसेक स्प्रेयर (पावर)/पावर चलित ताइवान स्प्रेयर				
	(अ) 8–12 लीटर क्षमता	3100	––	2500	––
	(ब) 12 लीटर से अधिक एंव 16 लीटर तक क्षमता	3800	––	3000	––
	(स) 16 लीटर से अधिक क्षमता	10000	––	8000	––
3	ट्रेक्टर माउटेड/चलित स्प्रेयर				
	(अ) 20 बी.एच.पी से कम	10000	––	8000	––
	(ब) 20 से अधिक एवं 35 बी.एच.पी तक	13000	––	10000	––
	(स) 35 बी.एच.पी से अधिक	63000	50%	50000	40%
4	लाईट ट्रेप (इको फ्रेन्डली)	1400	––	1200	––
5	इलैक्ट्रो स्टेटिक स्प्रेयर	63000	50%	50000	40%